

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा।

दाखिल खारिज वाद स0-21/2017-18

जमीला खातुन वगैरा बनाम रामलगन महतो वगैरा

आदेश की ज्ञान
एवं
तारीख

6.10.2021

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अन्युक्ति

आवेदक मोरो नेजामुद्दीन, पिता-स्वर कुदरत अली साकिन-लाईन मुहल्ला वार्ड नं0-13 थाना वो जिला-चतरा द्वारा अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा दिनांक-05.02.2016 के पारित आदेश के विरुद्ध अधिवक्ता के माध्यम से अपील वाद समयावधि क्षांत संबंधी आवेदन के साथ दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारंभ किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिनांक-25.11.2020 को आवेदन समर्पित किया गया कि-”आवेदक की मृत्यु दिनांक-18.09.2020 को हो गई है। जिसके कारण उनकी पत्नी, तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियां उनके वारिसान हैं उनके वारिसान को आवेदक के स्थान पर पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक की पत्नी-जमीला खातुन, पुत्र-मोरो आसिफ इकबाल, मोरो आरीफ इकबाल, मो आमीर इकबाल, पुत्री-हेना कौशर, खुशनुमा कौशर एवं जेबा कौशर हैं। साथ ही प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि-प्रस्तुत वाद में मोरो नेजामुद्दीन अपीलार्थी की मृत्यु हो चुकी है। विपक्षी में तीन विपक्षी हैं 1. रामलगन महतो, 2. नरेश यादव, 3. बजरंगी यादव तीनों पिता-रामलगन यादव, विवादित भूमि ग्राम-पाराडीह

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
81	518	0.33 डी0
	257	0.12 डी0
	720	1.16 एकड
35	527	0.44 डी0
	627	0.92 डी0
	524	1.16 एकड
15	528	4.28 एकड

उपरोक्त जमीन भूतपूर्व जमीन्दार ने 1940 में मोरो नेजामुद्दीन के पिता कुदरत अली के नाम बन्दोबस्ती कर दिया बन्दोबस्ती का तारीख 12.12.1940 ई0 है। बन्दोबस्ती के समय से नेजामुद्दीन के पिता दखल में आये तथा उनके मरने के बाद नेजामुद्दीन दखल में आये सरकारी रसीद भी

कटा। कुदरत अली के मरने के बाद उनके लड़कों के बीच बैटवारा में 33 डी० जमीन खाता 81, प्लॉट 518 का नेजामुदीन को हिस्सा मिला जिसका चौहदी-उ०-बुधू महतो तथा किसुनपूर का सिमाना, द०-प्लॉट संख्या 551, प०-प्लॉट संख्या-519, प०-सोहर बड़ही और धूधूवा दुसाध, वियती मुकदमा 4/11 में हाजिर होकर जवाब दिये। दीपा महतो ने 10.16 एकड़ भूमि वजरिये सादा केवाला (बाजारु केवाला) से शेखनवी वक्स से 1992 साल में दीपा महतो को हासिल हुआ तथा खरीद करने के बाद जमीनदार को लगान नहीं दिये तथा बिहार सरकार को उस वक्त से लगान न देकर वर्ष 2016 ई० में बिहार सरकार को उस वक्त से कराये हैं। जबकि शेख नवीवक्स सिर्फ एक खाता के खेवटदार थे तथा खाता 35 एवं 81 के खेवटदार दूसरे थे। मुकदमा 4/11 अदम पैरवी खारिज हो गया जिसको पुनः जिवित करने के लिए आवेदन दिया गया जिसका केस संख्या-15/15 है जो न्यायालय मुसिफ के यहाँ चला जिसमें रामलगन महतो को छोड़कर शेष लोगों ने बादी मो० नेजामदीन के साथ सुलह कर लिया। मुकदमा 04/11 दिनांक-04.06.2015 को खारीज हुआ था। तथा विविध वाद 15/15 खारीज हो गया पैरवी के अभाव में दिनांक-22.02.2016 को तब विविध वाद 10/2016 शुरू हुआ इसी को आधार बनाकर रामलगन महतो ने अंचल अधिकारी चतरा को दाखिल खारिज का आवेदन दिया जिसपर दिनांक-05.02.2016 को अंचल अधिकारी ने जमाबंदी रामलगन महतो के पक्ष में खोलने के आदेश दिये तथा कहा गया कि टाईटल सुट में रामलगन महतो का डिग्री हो गया। मो० नेजामदीन को नोटिस नहीं दिया गया। फैसला का कोई कॉपी अंचल अधिकारी के यहाँ दाखिल नहीं किया गया। सादा केवाला मान्य नहीं है क्योंकि सादा केवाला की मान्यता नहीं है। केवाला के बीच में 10.16 लिखा गया है जबकि केवाला के नीचे सब प्लाटों को जोड़ने पर रकवा 10.26 एकड़ होता है। दीपा महतो के नाम एक 1954 को सरकारी रसीद दाखिल किया गया जो न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया गया था, तो पुनः दाखिल खारिज करवाने की जरूरत क्यों पड़ी। अंचल अधिकारी को दोनों पक्षों को नोटिश करना चाहिए था तथा पंजी-॥ का अवलोकन करना चाहिए था कि पहले से रसीद किसके नाम की कट रही है। अंचल अधिकारी, चतरा सदर के पारित आदेश दिनांक-05.02.2016 के आलोक में श्रीमान के न्यायालय में एक मोटेशन अपील दाखिल किया गया था जिसमें आज में उपस्थित हुआ हूँ। अंचल अधिकारी, चतरा के आदेश पत्रक के पहला कॉलम में लिखा गया है कि मुसिफ चतरा के वाद संख्या-4/11 एवं 15/15 में पारित आदेश के

आलोक में अंचल अधिकारी, चतरा ने यह आदेश किया अब हम देखेंगे कि मुंसिफ चतरा व्यवहार न्यायालय, चतरा के न्यायालय में वाद क्या था एवं आदेश क्या हुआ। तथा यह वाद अहम पैरवी के आलोक में खारीज हुआ था। तथा यह वाद खाता संख्या-81 प्लॉट संख्या-518, रकवा-33 डी० एवं खाता संख्या-76, प्लॉट संख्या-551, रकवा-11 एकड से संबंधित था ना की 10.26 एकड था। ज्ञात हो कि मो० नेजामदीन पिता-स्व० कुदरत अली के नाम कायम जमाबंदी श्रीमान् के न्यायालय में सर्टिफिकेट केस संख्या-44/78-79 तथा संदेहात्मक वाद संख्या-02/1992-93 में पारित आदेश से जमाबंदी कायम की गई थी तथा वैसी जमाबंदी को अंचल अधिकारी को भेग में रखकर हमारी जमाबंदी को खारिज करवा कर रामलगन महतो पिता-दीपा महतो के नाम करवा लिया गया है। जिस जाली एवं बजारु केवाला के आधार पर 10.26 एकड की जमाबंदी कायम कि गई है, उस केवाले में कुछ नई बात है जो श्रीमान् को नजर करता हूँ। अंचल अधिकारी चतरा के आदेश तथा बजारु केवाला में खाता संख्या-35 के प्लॉट संख्या एवं रकवा एक दूसरे से भेग नहीं खाता है तथा जारी केवाला में जरसम्मन 10.26 एकड है। तथा अंचल अधिकारी का आदेश 10.26 एकड है। ज्ञात हो कि मो० नेजामदीन पिता-स्व० कुदरत अली की जमाबंदी सर्टिफिकेट केस एवं संदेहात्मक केस से 13.47 एकड की जमाबंदी कायम की गई है तथा जमाबंदी खारिज करने के बाद 10.26 एकड का जमाबंदी कायम किया गया और अंचल अधिकारी चतरा का आदेश वर्ष 2016 में होता है जबकि टाईटल सुट का निर्णय वर्ष 2020 में Declare होता है। हमारे विद्वान प्रतिवृद्धि अधिवक्ता का बहस के रूप में व्यवहार न्यायालय, चतरा के सब जज - प्रथम कोर्ट का जो निर्णय दिया गया है उसके आलोक में जिला जज व्यवहार न्यायालय, चतरा अपीलार्थी के पक्ष में आदेश निर्गत किये हैं जिसका सिविल अपील केस संख्या-12/2011 है। तथा अंचल अधिकारी, चतरा ने उक्त जमाबंदी को हम चार भाईयों में बॉट कर मो० नेजामदीन पिता-कुदरत अली के नाम 3.37% एकड का आदेश हल्का कर्मचारी को दिया जिसका लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक कटता चला आ रहा है। वर्ष 1992 साल में खेवटदार (मध्यवर्ती जमीनदार) को ऐसी जमीन बेचने का अधिकार उस वक्त की सरकार से प्राप्त नहीं था तथा बंदोबस्त हो सकती थी। अतः उपरोक्त परिस्थिति में रामलगन महतो के नाम जमाबंदी अवैध है तथा खारिज किया जाय।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह कि— अपीलार्थी मो० निजामुद्दीन मियॉ के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील दाखिल किया गया है जो खारिज के योग्य है। यह है कि अंचल अधिकारी चतरा द्वारा सही वस्तुस्थिति का विचारण के पश्चात् रेस्पोण्डेंटगण के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति प्रदान करके सरकारी रसीद निर्गत किया है। यह कि अपीलार्थी मो० निजामुद्दीन के द्वारा प्रश्नगत खाता प्लॉट के अंतर्गत रेस्पोण्डेंटगण के विरुद्ध सिविल कोर्ट चतरा में एक स्वत्व वाद संख्या—०४/११ मुसिफ न्यायालय चतरा में दाखिल किया था। जिसमें उभय पक्षों के कागजात एवं सुनवाई के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा दाखिल टाईटल सुट संख्या—०४/११ को मुसिफ न्यायालय द्वारा दिनांक—२४.०१.२०२० को खारिज कर दिया गया। न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का स्वत्व संबंधित दाखिल कागजात हुकुमनामा जमीनदारी रसीद एवं सराकरी रसीद तथा केवाला का अवैध एवं जाली घोषित किया। यह कि सिविल कोर्ट द्वारा अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व अधिकार एवं दखल कब्जा का अवैध पाया गया है। यह कि विधि का सिद्धांत है कि सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश रेवन्यू कोर्ट पर बाध्यकारी है। श्रीमान से प्रार्थना है कि अपीलार्थी का दाखिल खारिज अपील वाद को खारिज करने का आदेश देने का दया दर्शावें।

अंचल अधिकारी, चतरा के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि—“इस अभिलेख का संधारण उपायुक्त, चतरा के पत्रांक—१९९/बी० दिनांक—०१.१०.२०१५ के आलोक में आवेदक रामलगन महतो पिता—स्व० दीपा महतो ग्राम—पाराडीह के आवेदन में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने के निदेश के आलोक में विचार है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि ग्राम पाराडीह के खाता संख्या ८१ प्लॉट संख्या ५१८ रकवा ०.३३ एकड़ प्लॉट संख्या ५२८ रकवा ४.०० एकड़ खाता संख्या ३५ प्लॉट संख्या ५२७ रकवा—०.९३ एकड़ कुल रकवा १०.२६ एकड़ खतियान के अनुसार गैरमजरूरा खास खाते की भूमि है। प्रश्नगत भूमि का व्यवहार न्यायालय चतरा का वाद में ०४/११ एवं १५/१५ के आलोक में प्रश्नगत भूमि का लगान रसीदन निर्गत करने का अनुरोध किया है। प्रश्नगत भूमि का वाद व्यवहार न्यायालय चतरा में रामलगन महतो बनाम नेजामुद्दीन चला था उक्त वाद में रामलगन महतो के पक्ष में आदेश हुआ है। व्यवहार न्यायालय का वाद में ०४/११ एवं १५/१५ के आदेश के आलोक में ग्राम पाराडीह के खाता संख्या ८१ प्लॉट संख्या ५१८ रकवा ०.३३ एकड़ प्लॉट

संख्या 720 रकवा 5.00 खाता संख्या 15 प्लॉट संख्या 528 रकवा 4.00 खाता संख्या—35, प्लॉट संख्या— 527 रकवा 0.93 एकड़ कुल रकवा—10.26 एकड़ जमाबंदी रामलगन महतो, पिता—दीपा महतो के नाम से कायम कर लगान देकर लगान रसीद निर्गत करे एवं प्रश्नगत भूमि का नेजामुद्दीन पिता—कुदरत मिया एवं उनमें वंशज के नाम कायम जमाबंदी को रद कर अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह में दें।

उपरोक्त अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश, दोनों पक्षों का लिखित अभिकथन एवं माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा में निष्पादित ऑरिजनल सुट संख्या—04/2011 में दिनांक—24.01.2020 को पारित आदेश के अवलोकन से निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते हैं—

1. गैरमजरुआ खास भूमि का मामला
2. माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा का आदेश

1. गैरमजरुआ खास भूमि का मामला — अंचल अधिकारी, चतरा के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि— “ग्राम पाराडीह के खाता संख्या 81 प्लॉट संख्या 518 रकवा 0.33 एकड़ प्लॉट संख्या 528 रकवा 4.00 एकड़ खाता संख्या 35 प्लॉट संख्या 527 रकवा—0.93 एकड़ कुल रकवा 10.26 एकड़ खतियान के अनुसार गैरमजरुआ खास खाते की भूमि है।”

2. माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा का आदेश :— अभिलेख में संलग्न माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा में दिनांक—04.01.2020 को निष्पादित ऑरिजनल सुट संख्या—04/2011 में निम्नांकित पांच बिन्दु पर विचार किया गया है, जो इस प्रकार है—

ISSUES

- i. Is the suit maintainable in its present form ?
- ii. Whether the plaintiff has cause of action for the suit?
- iii. Is the suit barred by law of Limitation, waiver estoppel and acquiescence?
- iv. Is the suit bad for Non-joinder and Mis-joinder of necessary parties?
- v. Whether plaintiffs has right, title, interest and possession over his land of Schedule – 'I' of the plaint on the basis of sale deed No. 4187, dated 31.10.77?
2. उपरोक्त **ISSUES** में से पांचवे बिन्दु right, title, interest and possession से संबंधित है, जिसके संदर्भ में माननीय न्यायालय

द्वारा दिये गये findings इस प्रकार हैं -

At first, issue no.V is taken for the decision:

It has been contended on behalf of the plaintiff that the Cadstral Khata No. 76, Plot No. 551 measuring 0.43 acres lands of village- Paradih, P.S. - Sadar, Distt. - Chatra was recorded in the name of Pachkauri Dusadh in cadstral survey records of rights. That the said Pachkauri Dusadh died leaving behind his only son namely Dhanu Dusadh and Dhanu Dusadh also died leaving behind his two sons namely Ghamari Dusadh and Anup Dusadh as his legal heir who inherited and succeeded the entire property left and came in joint possession over the aforesaid lands. That the said Ghamari Dusadh and Anoop Dusadh had jointly sold away 0.32 acres of lands under khata no. 76 plot no. 551 through the registered sale deed no.3350 dated 24.08.1977 (**Ext.-F**) to 1. Sitaram Yadav, 2. Lalu Yadav, 3. Hira Yadav, 5. Dhaneshwar Yadav@ Dhanu Yadav, 6. Karu Yadav all sons of Dukhan Yadav, 7. Parsa Devi W/o Late Jadan Yadav, 8. Raju Yadav, 9. Bimal Yadav, 10. Purushuttam Yadav all sons of Jadan Yadav. This fact is admitted by the contesting defendants as pleaded in their written statement. Thereafter, according to the contention of the plaintiff, the remaining land 0.11 acres remained in ownership and possession of the said Ghamari Dusadh and Anoop Dusadh. And the plaintiff had purchased the 0.11 acres land of khata no. 76, plot no. 551 towards Northern side through the registered sale deed dated 31.10.77 with specific boundary executed by the exclusive physical possession over the same. That thereafter the plaintiff mutated his name in Anchal Serista and State rent receipt was granted in the name of the plaintiff.

Further, the contention on behalf on the plaintiff is made that the defendant no. 1 namely Sitaram Yadav in collusion with the defendant no. 2 to 6 with intention to grab the land which was purchased by the plaintiff through the registered sale deed dated

31.10.77 illegally sold the lands measuring 0.04 4/7 acres of khata no. 76 plot no. 551 to the defendant no. 11 and 12 namely Bajrangi Yadav through the registered sale deed no. 1622 dated 17.10.98 (**Ext.-E**) is illegal, void, inoperative and not binding upon the plaintiff.

But the above assertions made by the Learned counsel on behalf of the plaintiff was denied on behalf of the contesting defendants and further submitted that plaintiff Nizamuddin played a trick with vendors namely Ghamari Dusadh and Anoop Dusadh and got the sale deed bearing no. 4187 / 4212 dated 31.10.77, executed by Ghamari Dusadh and Anoop Dusadh, land measuring area 0.29 ¾ acres out of total area 0.43 acres in plot no. 551, under khata no. 76, of village - Paradih, without knowledge of vendors as well as their family members and their vicinity.

It is further contended that, the lands measuring area 0.32 acres of land out of total measuring area 0.43 acres of land sold earlier by Ghamari Dusadh and Anoop Dusadh in favour of Sitaram Yadav and others that is defendants 1 to 10 by virtue of sale deed no. 3350 dated 24.08.77 of village- Paradi, then how can the plaintiff Md. Nizamuddin can purchase the same land measuring area 0.29 ¾ acres of land in place of remaining 0.11 acres out of 0.43 acres of land in plot no. 551, under khata no. 76, of village- Paradih. The plaintiff Md. Nizamuddin purchased the same lands measuring area 0.29¾ acres out of 0.43 acres in plot no. 551, under khata no. 76, from the same vendors Ghamari Dusadh and Anoop Dusadh through the sale deed no. 4187 / 4212 dated 31.10.77 (**Ext.-I**) is erroneous, forged and fabricated which is not binding upon the defendants. Further it is submitted with regard to sale deed no. 1622 dated 20.04.98 (**Ext.-E**) on behalf of the contesting defendants that vendor Sitaram Yadav and others having partitioned on the purchased land measuring

area 0.32 acres with mutual consent under family management by metes and bounds among themselves and thereafter, due to urgent need of money, sold the land measuring area 0.4 4/7 acres of land out of 0.32 acres of land out of total area 0.43 acres of land, after taking full consideration money, with mutual consent knowledge of family members and vicinity and remaining vendees Lalo Yadav and others, by virtue of sale deed bearing no. 1622 dated 20.04.98 (**Ext.-E**) in favour of Bajarangi Yadav and Naresh Yadsav S/o Ramlagan Yadav of village Paradih and delivered possession over the same. The sale deed no. 1622 dated 20.04.98 (**Ext.-E**) executed by Sitaram Yadav in favour of Bajrangi Yadav and Naresh Yadav is valid, genuine as well as legal. Thereafter, the vendee Bararangi Yadav and Naresh Yadav came in possession over the land since the date of execution of sale deed and they are cultivating the land peacefully and planted paddy crops as well as several types of crops, over the same and the land was mutated, new zamabandi was opened in government Anchal sirista in their named and they used to get rent receipts after paying rent to Anchal revenue Karamchari up till now. Their possession over the land has been supported by rent receipts as **Ext.J/4, J/5 and J/6**.

On the other, it has been asserted by the plaintiff that adjacent North of plot no. 551, there is plot no. 518 under khata no. 81 which is recorded as Gairmajaruwa lands in the Cadastral Survey records of Right and the same was under the khas possession of the Ex-landlord. That the Ex-landlord was very pleased with the services rendered by the plaintiff's father, therefore the Ex-landlord had orally settled the lands under **khata no. 81** in plot no. 257, 518 and 720 measuring area 0.12 acres, 0.33 acres and 6.22 acres of land respectively; under **khata no.35** plot no. 527, 627 and 524 measuring area 0.44 acres, 0.92 acres and 1.16 acres of land respectively

and under **khata no.15** in plot no.528 measuring area 4.28 acres of land of village- Paradih on 12.12.40 and delivered possession over the total 13.47 acres of land. The Ex-landlord granted a Sada Hukumnama to the father of the plaintiff namely Qudrat Ali. It is further submitted that the said Qudrat Ali was put in possession over the said settled land, his name was mutated in Zamindari Serista and the Zamindari rent receipts were issued in the name of Qudrat Ali.

It has been held by the Hon'ble Court in **Mahadeo Oraon vs. State of Bihar & Ors.** [2009] 0 Supreme(Jhar) 1016/ [2009] 4 JLJR 106 that it is well settled that transfer of land cannot be done by virtue of only a Sada Hukumnama and an unregistered Hukumnama is not admissible and cannot be considered as a deed of title more so, when the settlement was also oral.

It has also been observed by the Hon'ble Court that whatever cleavage of opinion, or conflict, or uncertainty, if any, there might have been before in the past on the question, whether an unregistered Hukumnama, creating raiyati settlement, could be used as evidence of the transaction itself, it is, however, now firmly established by the decision of the **Hon'ble Supreme Court in Sri Sita Maharani v. Chhedi Mahto**, (S) AIR 1955 S C 328 (E), that settlement of raiyati interest under Hukumnama, when reduced to writing, required registration, and, if it is not registered, it is inadmissible, and no evidence could be given as to its terms, and, its contents could not be used for that purpose. Thus, on consideration of the above facts and provision of law, I find that the plaintiff failed to prove the title over the suit land as such issue no. V is decided against the plaintiff.

उपरोक्त माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा में दिनांक- 04.01.2020 को निस्पादित ऑरिजनल सुट संख्या-04/2011 में पारित आदेष के

आलोक में तैयार की Decree के अनुसार Schedule- 1 में अंकित
भू-विवरणी इस प्रकार है :— Schedule-I

The Suit land situated at village- Paradih, PS & District- Chatra

Khata No-	Plot No-	Area	Boundary
76	551	0.11 acre	N- Parti Land of plaintiff S- Late Dukhan Yadav E- Niz plaintiff plot no- 521 W- Sohar Barhi
Khata No-	Plot No-	Area	Boundary
81	518	0.33 acre	N- Badhu Mahto & simana Kishanpur S- Plot No. 551 nij E- Plot No. 519 nij W- Sohar Barhi and Dhudhwa Dusadh

वाद से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य जो विचारणीय है :—

→ ग्राम पाराडीह के खाता संख्या 81 प्लॉट संख्या 518 रकवा 0.33 एकड़ प्लॉट संख्या 528 रकवा 4.00 एकड़ खाता संख्या 35 प्लॉट संख्या 527 रकवा—0.93 एकड़ कुल रकवा 10.26 एकड़ खतियान के अनुसार 527 रकवा—दीपा महतो के नाम से कायम कर लगान देकर लगान रसीद निर्गत करने का आदेश अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित किया गया है, परन्तु अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा गैरमजरूआ जमीन रामलगन महतो, पिता—दीपा महतो को किस प्रकार प्राप्त है यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

→ अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा दिनांक—05.02.2016 को माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा का वाद संख्या—4/11 एवं 15/15 के आदेश के आलोक में ग्राम पाराडीह के खाता संख्या—81 प्लॉट संख्या—518 रकवा—0.33 एकड़ प्लॉट संख्या—720 रकवा—5.00 एकड़, खाता संख्या—15 प्लॉट संख्या 528 रकवा—4.00 खाता संख्या—35, प्लॉट संख्या—527, रकवा 0.93 एकड़ कुल रकवा—10.26 एकड़ जमाबंदी रामलगन महतो, पिता—दीपा महतो के नाम से कायम कर लगान देकर लगान रसीद निर्गत करे एवं प्रश्नगत भूमि का नेजामुद्दीन पिता—कुदरत मिया एवं उनमें वंशज के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है, जबकि माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा का वाद संख्या—4/11 का अंतिम आदेश दिनांक—24.01.2020 को पारित किया गया है। इस प्रकार अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा का वाद संख्या—4/11 में पारित आदेश को आधार मानते हुए दिनांक—05.02.2016 को आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, चतरा पुनः संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए तथा भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा में प्रश्नगत भूमि से संबंधित दायर वाद/अपील वाद, खतियान, रजिस्टर)। एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निवंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए विधिसम्मत निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे। अतः अंचल अधिकारी, चतरा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेजें। वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

२१/१०/२०२१
भूमि सुधार उपसमाहता,
चतरा।

२१/१०/२०२१
भूमि सुधार उपसमाहता,
चतरा।